अनुस्मारक –2

संख्या–1492(2)/81–2–2020–911/1992

प्रेषक,

डा0 दीपक कोहली
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

4544

सेवा में,

ccf (Nodal)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
और विभागाध्यक्ष,
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 **लखनऊ, दिनांक 01 सितम्बर, 2020**

विषय – जनपद सोनभद्र में रेणु सागर पावर कम्पनी को ऐश डिस्पोजल यार्ड के निर्माण हेतु 10 वर्ष की लीज दिनांक 21.06.2009 से 20.06.2019 तक के लिए) दी गई 61.2348 हे0 वनभूमि के लिए लीज नवीनीकरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के कमशः पत्र सं0–966/81–2–2020–911/1992, दिनांक 15.06.2020 एवं पत्र सं0–1492/81–2–2020–911/1992, दिनांक 20.08.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करे।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त पत्रों द्वारा वांछित कार्यवाही की आख्या अद्यतन अप्राप्त है, जिसके कारण प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही संभव नहीं हो पा रही है। अतः कृपया वांछित कृत कार्यवाही की आख्या शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ताकि प्रकरण में अगेतर कार्यवाही सुनिश्चित करायी जा सकें।

भवदीय,

(डा0 दीपक कोहली)
संयुक्त सचिव।

data d rajesh sir

अनुस्मारक–2/तत्काल

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– 410 /11–सी–FP/UP/IND/39403/2019, लखनऊ, दिनांकः अगस्त 21 ,2020

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषयः– जनपद–सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत मे0 रेनुसागर पावर कम्पनी को ऐश डिस्पोजल यार्ड के निर्माण हेतु 10 वर्षो की लीज (दिनांक 21.06.2019 से 20.06.2029 तक के लिए) दी गयी 61.2348 हे0 वनभूमि के लीज नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– उ0प्र0 शासन का पत्रांक–966/81–2–2020–911/1992, दिनांक 15.06.2020, इस कार्यालय का पृष्ठांकन सं0–2194/11–सी, दिनांक 16.06.2020, इस कार्यालय का पत्रांक–361/11–सी–FP/UP/IND/39403/2019, दिनांक 17.08.2020 एवं उ0प्र0 शासन का पत्रांक–1492/81–2–2020–911/1992, दिनांक 20.08.2020 (छायाप्रति संलग्न)।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। उ0प्र0 शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयगत प्रकरण में वित्तीय हानि की प्रतिपूर्ति के लिए प्रश्नगत अवधि के प्रारम्भ में देय स्टॉप ड्यूटी प्रस्तावक विभाग से प्राप्त करते हुये कृत कार्यवाही से अवगत कराने हेतु इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्रों के द्वारा आपको पत्र लिखा गया था, किन्तु अभी तक आपके द्वारा विषयगत प्रकरण में प्रश्नगत अवधि के प्रारम्भ में देय स्टॉप ड्यूटी प्रस्तावक विभाग से प्राप्त कर उसकी सूचना/आख्या संस्तुति सहित इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया गया है, इसी सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 20.08.2020 के द्वारा वांछित अद्यतन आख्या एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः उ0प्र0 शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 20.08.2020 की छायाप्रति इस आशय से संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया विषयगत प्रकरण में उ0प्र0 शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र दि0 15.06.2020 के क्रम में देय स्टॉप ड्यूटी प्रस्तावक विभाग से तत्काल प्राप्त करते हुये उसकी सूचना/आख्या अभिलेखों एवं साक्ष्यों सहित लौटती डाक से दो दिन के अंदर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें। प्रकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अतः आपका व्यक्तिगत ध्यानाकर्षित है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

21/8

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– 410 /11–सी–FP/UP/IND/39403/2019, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-663

Email
20/08/20

4243

cf (Nodal)

संख्या–1492/81–2–2020–911/1992

प्रेषक,

गौरव वर्मा
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
और विभागाध्यक्ष,
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 **लखनऊ, दिनांक 20 अगस्त, 2020**

विषय – जनपद सोनभद्र में रेणु सागर पावर कम्पनी को ऐश डिस्पोजल यार्ड के निर्माण हेतु 10 वर्ष की लीज दिनांक 21.06.2009 से 20.06.2019 तक के लिए) दी गई 61.2348 हे0 वनभूमि के लिए लीज नवीनीकरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं0–966/81–2–2020–911/1992, दिनांक 15.06.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करे।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त पत्र द्वारा वांछित कार्यवाही की आख्या अद्यतन अप्राप्त है। अतः कृपया वांछित कृत कार्यवाही की आख्या शासन को एक सप्ताह के अन्दर प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ताकि प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करायी जा सकें।

Ad.S.O.

cf nodal
A.O.
21/08/2020

भवदीय,

(गौरव वर्मा)
विशेष सचिव।

अनुस्मारक/तत्काल

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक— 361 /11—सी—FP/UP/IND/39403/2019, लखनऊ, दिनांकः अगस्त 17 ,2020

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषयः— जनपद—सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत मे0 रेनुसागर पावर कम्पनी को ऐश डिस्पोजल यार्ड के निर्माण हेतु 10 वर्षो की लीज (दिनांक 21.06.2019 से 20.06.2029 तक के लिए) दी गयी 61.2348 हे0 वनभूमि के लीज नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः— उ0प्र0 शासन का पत्रांक—966/81—2—2020—911/1992, दि0 15.06.2020 एवं इस कार्यालय का पृष्ठांकन सं0—2194/11—सी, 16.06.2020

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। उ0प्र0 शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में वित्तीय हानि की प्रतिपूर्ति के लिए प्रश्नगत अवधि के प्रारम्भ में देय स्टॉप डयूटी प्रस्तावक विभाग से प्राप्त करते हुये कृत कार्यवाही से अवगत कराने के निर्देश दिये गये थे, किन्तु अभी तक आपके द्वारा विषयगत प्रकरण में प्रश्नगत अवधि के प्रारम्भ में देय स्टॉप डयूटी प्रस्तावक विभाग से प्राप्त कर उसकी सूचना/आख्या संस्तुति सहित इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं करायी गयी है, जिस पर शासन द्वारा काफी नाराजगी व्यक्त की गयी है।

अतः विषयगत प्रकरण में यदि अभी तक देय स्टॉप डयूटी प्रस्तावक विभाग से प्राप्त नहीं की गयी है, तो देय स्टॉप डयूटी प्रस्तावक विभाग से तत्काल प्राप्त करते हुये उसकी सूचना/आख्या अभिलेखों एवं साक्ष्यों सहित लौटती डाक से दो दिन के अंदर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें। प्रकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अतः आपका व्यक्तिगत ध्यानाकर्षित है।

भवदीय,

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या— 361 /11—सी—FP/UP/IND/39403/2019, दिनांकित।

प्रतिलिपिः— प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-656

संख्या– 966/81-2-2020-911/1992

प्रेषक,

डॉ0 दीपक कोहली,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 लखनऊ, दिनांक 15 जून, 2020

विषय– जनपद सोनभद्र में रेणुसागर पावर कम्पनी को ऐश डिस्पोजल यार्ड के निर्माण हेतु 10 वर्ष की लीज (दिनांक 21.06.2009 से 20.06.2019 तक के लिए) दी गई 61.2348 हे0 वनभूमि के लिए लीज नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक **मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी**, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक–2046/11–सी–एफपी/यूपी/इण्ड0/39409/2019, दिनांक 23.05.2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में मूल शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करायें एवं जनपद सोनभद्र में रेणुसागर पावर कम्पनी को ऐश डिस्पोजल यार्ड के निर्माण हेतु 10 वर्ष की लीज (दिनांक 21.06.2009 से 20.06.2019 तक के लिए) दी गई 61.2348 हे0 वनभूमि के लिए लीज डीड की अवधि समाप्त हो चुकी है। पूर्व समय से लीज डीड सम्पन्न न होने के कारण वित्तीय हानि हो रही है, वित्तीय हानि की प्रतिपूर्ति के लिए प्रश्नगत अवधि के प्रारम्भ में देय स्टॉप डयूटी प्रस्तावक विभाग से प्राप्त की जाय। कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ0 दीपक कोहली)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव–

प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र दिनांक 23.05.2020 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(डॉ0 दीपक कोहली)
उप सचिव।

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक–2195 /11–सी, लखनऊ, दिनांक: जून 16 ,2020

प्रतिलिपि– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट।
3. ~~श्री विवेक कुमार, हेड लीगल, अधिकृत हस्ताक्षरी, मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0, रेनुकूट।~~

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ